न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-522RAAJodhpur2022-186RTA223 Haji Ahmad Urf Kaluji Vs State of Rajasthan

हाजी अहमद उर्फ कालूजी पुत्र मेहमूद जाति मुसलमान,
निवासी- ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/2022 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा बनाम हाजी अहमद

उपस्थित-
श्री एन.के. चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 05 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/2022 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा बनाम हाजी अहमद में पारित निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पिचियाक की सरहद पर स्थित खसरा नं. 946/588 रकबा 0.3560 हैक्टेयर किस्म नहरी तृतीय व खसरा नं. 588/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर अपीलांट के नाम से दर्ज है तथा अपीलांट द्वारा बिना सक्षम अनुमति के कुल दो दुकाने बनाकर वाणिज्यिक निर्माण कर दिया है, जो खातेदारी शर्तो का उल्लंघन है। खातेदार द्वारा किये गये उक्त कृत्य से राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी, तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर आलौच्य आदेश पारित किया है। धारा 177 की उपधारा 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय आवेदन को वाद पत्र मानेगा और मामले में नियमित वाद की तरह कार्यवाही करेगा। इस प्रकार विधि के प्रावधानों से स्पष्ट है कि इस प्रकार के आवेदन में एक वाद मे की जाने वाली कार्यवाही/प्रक्रिया को अपनाते हुए विधिवत तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई से ही निस्तारित किया जा सकता है। अपीलांट की कुल कृषि भूमि खसरा नं 946/588 रकबा 0.3560 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 588/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 0.5259 हैक्टेयर कुल रकबा 0.8819 हैक्टेयर है, जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबंदी भी प्रस्तुत की थी, जिससे स्पष्ट था कि अपीलांट के पास एकल खातेदारी की भूमि है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने मात्र हल्का पटवारी के कहने मात्र से एवं दुर्भावनापूर्वक अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से केवल मात्र एक खसरे को दर्शित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर धारा 177 का आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलांट को कुल भूमि के 1/50 वें हिस्से पर निर्माण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में विधिनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट द्वारा बिना किसी समक्ष स्वीकृति के कृषि भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्माण किया है, जिससे राज्य पक्ष को राजस्व हानि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौका फर्द के आधार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवादित भूमि खसरा नं 946/588 रकबा 0.3560 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 588/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2022 को विवादित भूमि के मौके की स्थिति बाबत नगरपालिका बिलाड़ा से जांच रिपोर्ट तलब किया जाना पाया जाता है। उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्ति से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को उभय पक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि ''**नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में उपस्थित होने और बेदखली के दायित्व का प्रतिवाद करने पर, उचित न्यायालय-फीस संदाय करने पर न्यायालय आवेदन को वाद-पत्र मानेगा और मामले में वाद की तरह कार्यवाही करेगा।**'' अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुति के बाद विचारण न्यायालय द्वारा धारा 177 के प्रावधानों के तहत हस्तगत मामले में वाद-विचारण की प्रक्रिया की तरह प्रार्थना पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 4 में विहित प्रावधानो की पालना करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.1.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर